


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
तालीम बनाम मैमूना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.04.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष (प्रार्थी,अप्रार्थीगण) को जय्य अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.05.24 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आराजी हाल ख0 नं0 10 रकबा 0.1500हे0, 398/11 रकबा 0.1300हे0 किता 2 रकबा 0.2800हे0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास में विवादित आराजी परं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलवाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 15.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(खैरथल-तिजारा) </p>	
15/5/24	वकील प्रार्थी उप0 वादी इंतजार तामील दिनांक 16/7/24 को पेश हो।	16/7/24

16/7/24 वकील प्रार्थी उप0 इंतजार तामील दिनांक 24/9/24 को पेश हो।

24/9/24...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब रजि० अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पगारे हैं। उभयपक्ष के अग्नि उप. आयन्दा दिनांक 26/11/24 को पेश हो।


 रजि०

26/11/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अपने कार्या में व्यस्त हैं। बाहर प्यारे हैं।
उत्तरांचल के अति उप. आरक्षक दिनांक 21/01/25
को पेश हो।

रिपोर्ट

21/01/25 वकील उत्पी उप.। वरिष्ठ इंतजार तलबी पत्रावली दिनांक 18/03/25
को पेश हो। My

18/3/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अपने कार्या में व्यस्त हैं। बाहर प्यारे हैं।
उत्तरांचल के अति उप. आरक्षक दिनांक 13/5/25
को पेश हो।

रिपोर्ट

13/5/2025 वकील उत्पी उप.। वरिष्ठ इंतजार तलबी पत्रावली दिनांक 24/6/25
को पेश हो। My

24/6/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अपने कार्या में व्यस्त हैं। बाहर प्यारे हैं।
उत्तरांचल के अति उप. आरक्षक दिनांक 02/07/25
को पेश हो।

रिपोर्ट

02/07/25 पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। जांपत्र का मूलवाद अदम हाजरी
में खारिज हो चुका है। अतः जांपत्र 212 आर.टी.एफ. भी अदम
हाजरी/पेंरवी में खारिज किया जाकर पत्रावली नैलन शुमार होकर
संबन्ध मूलवाद रहे। My